

2021/346 1024  
2021

रिपोर्ट पटवारी हत्का / आई0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार उक्त प्रमाण की प्रमाणीकरण 2015-18 के अन्तर्गत का नाम विमला पति धनप्री देवी का नाम पारनाड शरानाड में दर्ज किया जा चुका है। उक्त प्रमाण की जांच के बाद रिपोर्ट प्रमाण की प्रमाणीकरण 2015-18 के अन्तर्गत का नाम विमला पति धनप्री देवी का नाम पारनाड शरानाड में दर्ज किया जा चुका है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की प्रमाणीकरण की जाती है।

उक्त किल्ला जांच उचित है।

08/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्दुनू (राज.)  
:- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	चमोय	2015-18	181	विमला पति धनप्री	विमला देवी पति धनाराध

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 771-72

- तिलिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
  2. प्रार्थी / प्रार्थीया

दिनांक :- 8/11



सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उ